दां.प्र.क्र. 752/22 शा. वि. सत्यनारायण

Witness No.....01.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken

the.....11–03–2024.....day of.....Witness's apparentage.....72.....

States of affirmation.....शपथपूर्वक कथन.....my name is.....जनाबाई.....

Son of.....गौतम.....occupation.....कुछ नही.....

address.....साकिन नंदौरकला, थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)

प्रारंभ समय 12:45 बजे।

01– मै आरोपी को जानती हूॅ, वह मेरा छोटा पुत्र है ।

02– घटना लगभग साल भर पूर्व की है । आरोपी के द्वारा मेरे साथ लडाई झगडा एवं मारपीट किया गया था । आरोपी डंडा से दरवाजा को मारा था । घटना शाम लगभग 08 बजे की है । आरोपी मेरे साथ गाली गलौज कर रहा था । मै आरोपी की मॉ हूॅ, जिसके कारण आरोपी द्वारा दिये गये अश्लिल गाली गलौज को उच्चारण करने मे असहज महसूस कर रही हूॅ । उक्त गाली गलौज को सुनकर मुझे बहुत खराब लगा था । मेरी बहू शकून चौहान के द्वारा बीच बचाव किया गया था । घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा थाना सक्ती मे किया गया था । पुलिस वाले मेरे सामने घटना स्थल का नक्शा तैयार किये थे ।

टीपः– अभियोजन द्वारा उपस्थित साक्षी को धारा 154 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी, अभिलेख अवलोकन बाद अनुमति दी गई।

03– यह कहना सही है कि मै अपने बडे पुत्र रूपनारायण चौहान के साथ रहती हूॅ । यह कहना सही है कि आरोपी मुझे बोल रहा था कि तूम घर से बाहर निकलो तूमको जान से मार दूंगा कहकर धमकी दे रहा था । यह कहना गलत है कि घटना स्थल पर रूपनारायण चौहान भी उपस्थित था । यह कहना सही है कि पुलिस वाले मेरे बताये अनुसार रिपोर्ट दर्ज किये थे । यह कहना सही है कि आरोपी के द्वारा ही कोटवारी जमीन को अपने कब्जे मे रखा गया है ।

//प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त सहित श्री जे पी यादव अधि. उप.//

04– यह कहना सही है कि आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के पूर्व मै उसी के साथ रहती थी । यह कहना सही है कि कोटवारी जमीन मे हम सभी का नाम दर्ज है । यह कहना सही है कि आरोपी के द्वारा ही प्रारंभ से कोटवारी का कार्य किया जा रहा है । यह कहना सही है कि आरोपी के द्वारा कोटवारी जमीन से हमारा नाम कटवा दिया गया है । यह कहना गलत है कि कोटवारी जमीन मे पुनः हमारा नाम दर्ज हो जाये इस आशय से मेरा बडा पुत्र मुझे आधार बनाकर आरोपी के विरूद्ध झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया है । यह कहना सही है कि पुलिस वाले थाने मे बैठकर नक्शा बनाये थे ।

05– यह कहना गलत है कि पुलिस वाले के द्वारा किये गये लिखापढी को पुलिस के द्वारा पढकर नही सुनाया गया था । यह कहना गलत है कि आरोपी किसके दरवाजा एवं दिवाल को मारा था, इसके बारे मे पुलिस को नही बतायी थी । स्वतः कहा रूपनारायण के दरवाजे एवं दिवाल को मारा था । पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कराने के लगभग 8 दिन के बाद मेरा बयान लिये थे । यह कहना गलत है कि मै अपने बडे पुत्र रूपनारायण के कहे अनुसार रिपोर्ट दर्ज करायी हूॅ । यह कहना गलत है कि आरोपी मुझे किसी प्रकार की धमकी नही दिया था ।

(प्रति परीक्षण समाप्ति समय 01:00 बजे)

वाचित सहित स्वीकृत।
सही/–
श्रीमती गंगा पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–
श्रीमती गंगा पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)